



रजिोल्यूशन पेशेवरों का पैनल स्थापति करने की तैयारी में आईबीबीआई

चर्चा में क्यों ?

भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने योग्य रजिोल्यूशन पेशेवरों से गठित किये जाने वाले पैनल का हिससा बनने के लिये इओआई(expression of interest) आमंत्रित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की सभी शाखाओं के लिये इस प्रकार के पैनल का गठन किया जाएगा। देश में एनसीएलटी की 10 शाखाएँ हैं।
- जो भी रजिोल्यूशन पेशेवर पैनल का हिससा बनना चाहते हैं, उनको 15 जून तक वधिवित भरे हुए फॉर्म आईबीबीआई जमा करवाने होंगे।
- पैनल का हिससा बनने के लिये एक रजिोल्यूशन पेशेवर का चयन करते समय एक स्कोरिंग प्रारूप अपनाया जाएगा।
- पैनल के गठन के बाद अधनिरिणयन प्राधिकरण (NCLT) अंतरिम रजिोल्यूशन पेशेवर (IRP) के रूप में चुने जाने वाले रजिोल्यूशन पेशेवरों के नाम का चयन कर सकेगा।
- आईबीसी नियमों के तहत गठित किये गए पैनल की वैधता अवधि छह माह होगी तथा छह माह बाद पुराने पैनल को एक नए पैनल द्वारा प्रतस्थापित कर दिया जाएगा।
- दलिचस्प बात यह है कि वर्तमान आईबीसी वनियमन में आईआरपी पर कुछ शर्तें आरोपित की गई हैं। यथा- वह अधनिरिणयन प्राधिकरण द्वारा आईआरपी या लक्विडिटर के तौर नयुक्त किये जाने के पश्चात् कार्य करने से इनकार नहीं कर सकता, आईआरपी/लक्विडिटर के रूप में कार्य करने को लेकर अपनी अभिरुचि वापस नहीं ले सकता, पैनल की वैलिडिटी के दौरान अपने पंजीकरण को सरेंडर नहीं कर सकता।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' ?

- वदिति हो कि 2016 में केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दशा में कदम उठाते हुए एक नया दवालियापन संहिता संबंधी वधियक पारित किया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालिया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दवालियापन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।